



UPST010030262021

न्यायालय A. D. J., Court No. 8, Sultanpur

पीठासीन अधिकारी– (Sri Tribhuwan Nath Paswan), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – **UP06457**

मूलवाद संख्या: Sessions Case/2749/2021

फौ0 वाद सं0 649 / 21

state Vs. Ramjan Ali

अपराध सं0 64 / 21

धारा–8 / 21 एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट

थाना– कूरेभार

जिला– सुलतानपुर

दिनांक– 14.07.2021

वाद पुकारा गया। अभियुक्त रमजान अली जेरे हिरासत जिला कारागार, सुलतानपुर जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपस्थित तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक भी उपस्थित हैं।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक ने अभियोजन पक्ष के कथन एवं अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, उस साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके द्वारा वह आरोप सिद्ध करना चाहते हैं।

आरोप के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध धारा–8 / 21 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है।

तदनुसार उपरोक्त धारा में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग इन्कार कर, विचारण की मांग की, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 06.09.2021 को पेश हो ।

दिनांक 14.07.2021

Sd-14-07-2021

अपर सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश
एन० डी० पी० एस० एक्ट कक्ष सं०-०८,
सुलतानपुर ।



UPST010030262021

न्यायालय A. D. J., Court No. 8, Sultanpur

पीठासीन अधिकारी- (Sri Tribhuwan Nath Paswan), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06457

मूलवाद संख्या: Sessions Case/2749/2021

फौ0 वाद सं0 649 / 21

state Vs. Ramjan Ali

अपराध सं0 64 / 21

धारा-8 / 21 एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट

थाना- कूरेभार

जिला- सुलतानपुर

आरोप

मैं त्रिभुवन नाथ पासवान, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0 डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट सं08, सुलतानपुर आप अभियुक्त रमजान अली को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

प्रथम- यह कि दिनांक 21.02.2021को समय 19.25 बजे बहद स्थान पतुरजा गांव को जाने वाली रोड, पर करीब 100 मीटर की दूरी, थाना कूरेभार, जिला सुलतानपुर में पुलिस तलाशी में आपके कब्जे से 109 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुआ, जिसको रखने का लाइसेंस आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने धारा-8/21 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्द्वारा आप को आदेशित किया जाता है कि आप का विचारण उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

Sd-14-07-2021

दिनांक-14.07.2021

(त्रिभुवन नाथ पासवान)

अपर सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश
एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट कक्ष सं0-08,
सुलतानपुर।

अभियुक्त को जरिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

Sd-14-07-2021

दिनांक-14.07.2021

(त्रिभुवन नाथ पासवान)

अपर सत्र न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश
एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट कक्ष सं0-08,
सुलतानपुर।

